[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में प्रकाशनार्थ]

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 25 फ़रवरी, 2019

का.नि.आ.....(अ).- नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नौसेना अफसरों के वेतन विनियमों, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों को नौसेना अफसर वेतन (संशोधन) विनियमन, 2019 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे ।

2. (1) हिन्दी पाठ मे इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(2) नौसेना अफसर वेतन विनियमन, 2017, विनियम 12, खंड (ii) में शब्द "मूल वेतन+ गैर-व्यवसाय भत्ता" के स्थान पर शब्द "मूल वेतन + गैर-व्यवसाय भत्ता + मिलिट्री सेवा वेतन" माना जाएगा ।

[सं. 1(8)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) खंड-II-3]

(एम. सुब्बारायन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है । इसके तहत भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन-संशोधन के लिए पात्र है । तदनुसार, इन नियमों को 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है । एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण :- नौसेना अफसर वेतन विनियमन, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 14(अ), दिनांक 03 मई, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है ।